

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर 332

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 332

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 332 व भू.अ.नि. 332

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 332 /नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार

पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 332 तहसील 332 व

जिला 332 की जमाबन्दी सम्बत् 2074-2077 में खाता संख्या में वर्तमान में

दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	अणगावर	117	किशोर कुं नाराण	किशोर किंड कुं नाराण

(
प्रभारी अधिकारी शिविर
पीठासीन अधिकारी
सहायक समिति सुम्हान
लोक अदालत (शैलेश खैरा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी सुम्हान
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 96

दिनांक :- 7/6/22

प्रतिनीतीय :-

1. तहसीलदार 332 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर

खाता रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
प्रभारी अधिकारी शिविर
सहायक समिति सुम्हान
(शैलेश खैरा)
उपखण्ड अधिकारी सुम्हान